23.05.2023	अपीलान्ट अधिवक्ता श्री केराराम चौधरी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा मुकदमा नंबर 28/2009 बउनवान जीवा बनाम लेहरी वगैरा मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2021 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 एवं 8/4 से 8/6 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा देवदा का गोलिया के नवीन खसरा नंबर 211 रकबा 3.03 हैक्टर, खसरा नंबर 212 रकबा 2.82 हैक्टेर, खसरा नंबर 216 रकबा 3.14 हैक्टेर, खसरा नंबर 487 रकबा 2.54 हैक्टेर, खसरा नंबर 488 रकबा 1.92 हैक्टेर, खसरा नंबर 489 रकबा 3.15 हैक्टेर, खसरा नंबर 1133 रकबा 0.12 हैक्टेर, खसरा नंबर 1136 रकबा 0.02 हैक्टेर, खसरा नंबर 1137 रकबा 2.15 हैक्टेर, खसरा नंबर 1138 रकबा 0.03 हैक्टेर, खसरा नंबर 1139 रकबा 0.11 हैक्टेर, खसरा नंबर 1140 रकबा 1.84 हैक्टेर, खसरा नंबर 1172 रकबा 0.95 हैक्टैर, खसरा नंबर 1176 रकबा 0.01 हैक्टेर, खसरा नंबर 1177 रकबा 3.04 हैक्टेर, खसरा नंबर 1216 रकबा 0.54 हैक्टेर, खसरा नंबर 1219 रकबा 1.94 हैक्टेर जुमले रकबा 27..25 हैक्टेर के संबध मे प्रस्तुत कर बंटवाडा एवं	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दौरान वाद रेस्पोडेन्ट देवा पुत्र चेला, भोमा पुत्र लाला, नाथा पुत्र मोटा का देहान्त प्राथमिक डिक्री जारी करने से पूर्व ही हो चुका था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त मृतक पक्षकारो के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया जाकर उनके वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के मूलभूत सिद्धान्तो के विपरित जाकर मृतको के वारिसान को रेकर्ड पर नहीं लिया जाकर मृतक व्यक्तियो के विरूद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 व 7 के दादा ईरा द्वारा वादग्रस्त आराजी मे अपना संपूर्ण 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 रमकूदेवी को जरिये बेचान दस्तावेज दिांक 12.01.2009 को कर दिया था। ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 व 7 का वादग्रस्त आराजी मे कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब दावा, साक्ष्य सबूतो पर बिना गौर किये मृतक व्यक्तियो के विरूद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें एवं प्रकरण पुनः विधिवत निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी

एवं स्थाई निषेधाज्ञा का हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा देवदा का गोलिया के नवीन खसरा नंबर 211 रकबा 3.03 हैक्टर, खसरा नंबर 212 रकबा 2.82 हैक्टेर, खसरा नंबर 216 रकबा 3.14 हैक्टेर, खसरा नंबर 487 रकबा 2.54 हैक्टेर, खसरा नंबर 488 रकबा 1.92 हैक्टेर, खसरा नंबर 489 रकबा 3.15 हैक्टेर, खसरा नंबर 1133 रकबा 0.12 हैक्टेर, खसरा नंबर 1136 रकबा 0.02 हैक्टेर, खसरा नंबर 1137 रकबा 2.15 हैक्टेर, खसरा नंबर 1138 रकबा 0.03 हैक्टेर, खसरा नंबर 1139 रकबा 0.11 हैक्टेर, खसरा नंबर 1140 रकबा 1.84 हैक्टेर, खसरा नंबर 1172 रकबा 0.95 हैक्टैर, खसरा नंबर 1176 रकबा 0.01 हैक्टेर, खसरा नंबर 1177 रकबा 3.04 हैक्टेर, खसरा नंबर 1216 रकबा 0.54 हैक्टेर, खसरा नंबर 1219 रकबा 1.94 हैक्टेर जुमले रकबा 27..25 हैक्टेर के संबध मे प्रस्तुत कर बंटवाडा एवं खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जैर अपील वादस्थ भूमि का मौके पर विभाजन हो चुका है तथा पक्षकार अपने अपने हिस्से मुजब काबिज काश्त है। अतः अपील खारिज करावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा देवदा का गोलिया के नवीन खसरा नंबर 211 रकबा 3.03 हैक्टर,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

	खसरा नंबर 212 रकबा 2.82 हैक्टेर, खसरा नंबर 216 रकबा 3.14 हैक्टेर, खसरा नंबर 487 रकबा 2.54 हैक्टेर, खसरा नंबर 488 रकबा 1.92 हैक्टेर, खसरा नंबर 489 रकबा 3.15 हैक्टेर, खसरा नंबर 1133 रकबा 0.12 हैक्टेर, खसरा नंबर 1136 रकबा 0.02 हैक्टेर, खसरा नंबर 1137 रकबा 2.15 हैक्टेर, खसरा नंबर 1138 रकबा 0.03 हैक्टेर, खसरा नंबर 1139 रकबा 0.11 हैक्टेर, खसरा नंबर 1140 रकबा 1.84 हैक्टेर, खसरा नंबर 1172 रकबा 0.95 हैक्टैर, खसरा नंबर 1176 रकबा 0.01 हैक्टेर, खसरा नंबर 1177 रकबा 3.04 हैक्टेर, खसरा नंबर 1216 रकबा 0.54 हैक्टेर, खसरा नंबर 1219 रकबा 1.94 हैक्टेर जुमले रकबा 27..25 हैक्टेर के संबध मे प्रस्तुत कर बंटवाडा एवं खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा रेस्पोडेन्ट भोमा, नाथाजी एवं ईरा का मृत्यु प्रमाण पत्र हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। उक्त प्रमाण पत्र अनुसार रेस्पोडेन्ट भोमा को देहान्त 24.12.2017, नाथाजी का देहान्त 05.05.2016 को हो चुका था। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2021 को पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त पक्षकारो का देहान्त दौराने वाद हो जाने के बावजूद भी भोमा एवं नाथाजी के कायम मुकाम को रेकर्ड पर नहीं लिया गया। जिससे यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री मृतक पक्षकारो के विरुद्ध पारित की गई है। जो कि विधि के सिद्धान्तो के	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पूर्णतया विपरित है एवं नल एंड वोईड है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पक्षकारो के वारिसान को रेकर्ड पर नही लिये जाने से इनके वारिसानो को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हो सका। अधीनस्थ न्याायालय द्वारा मृतक पक्षकारो के विरूद्ध एवं उनके वारिसानो को सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि हाजा न्यायालय की राय मे उचित प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा मुकदमा नंबर 28/2009 बउनवान जीवा बनाम लेहरी वगैरा मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2021 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशो के साथ सहायक कलक्टर बागोडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे मृतक पक्षकारान के वारिसान को रेकर्ड पर लेकर पुनः साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली